



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

**SITTING NOTICE**

File No NCST/SER-1416/MRLY/5/2024-RO-RNC

Dated:- 11.11.2024

सेवा में,

1. श्री मिलिंद देउस्कर  
महाप्रबंधक,  
पूर्व रेलवे,  
नेताजी सुभाष रोड, फेयरली प्लेस,  
कोलकाता, (पश्चिम बंगाल)- 700001  
Email:- [gm@er.railnet.gov.in](mailto:gm@er.railnet.gov.in),  
Tel:- 033-22307596
2. श्री चेतना नन्द सिंह  
मंडल रेल प्रबंधक,  
कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक  
डीआरएम बिल्डिंग, पूर्व रेलवे,  
आसनसोल डिवीजन,  
आसनसोल (पश्चिम बंगाल)- 713301  
Email:- [drm@asn.railnet.gov.in](mailto:drm@asn.railnet.gov.in),  
Tel:- 0341-2302319

विषय:- अभ्यावेदक श्री अभिलाष लकड़ा, ट्रेनिंग टिकट इंस्पेक्टर, आसनसोल रेलवे स्टेशन, पूर्व रेलवे (पश्चिम बंगाल) में पदस्थ से प्राप्त अभ्यावेदन " उनके विभाग द्वारा उनके हाजिरी रजिस्टर में छेड़छाड़ कर बिना कोई कारण के जाँइनिंग न करने देने तथा मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में।

संदर्भ:- पूर्व रेलवे पत्र क्रमांक स ई 220/1/1आरआर/रेप/कॉन्/एसटी पार्ट -II कोलकाता दिनांक 18.07.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **18.11.2024 को 11:40 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

(सुरत सिंह/Surat Singh)  
निदेशक /Director  
Tel:-24641640

Copy to :-

श्री अभिलाष लकड़ा,  
मिचयारी लेन, कोरा हेट टोला,  
जिला - हजारीबाग (झारखंड) Mobile No:9934955030  
(यह सूचित किया जाता है कि दिनांक **18.11.2024 को 11:40 बजे** आयोजित सिटिंग में, आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 में उपस्थित हो।)